# न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
## पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 255 / 2021

| **अपीलान्ट** | बनाम | **रेस्पोडेन्टस** |
|---|---|---|
| 1. चेनाराम पुत्र मोमताराम<br>2. सगाराम पुत्र बुद्धाराम<br>3. काली पत्नी चेनाराम<br>निवासीगण– जम्भेश्वर नगर,<br>तहसील ओसियॉ, जिला जोधपुर। | | 1. राज.सरकार जरिये<br>तहसीलदार, ओसियॉ<br>जिला जोधपुर |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ के द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र 2021 / 742 अनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार ओसिया बनाम अनोपाराम वगैराह में दिनांक 01.11.2021 को पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री पूनाराम एवं प्रेमकुमार विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः दिसम्बर, 2021**

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ के द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र 2021 / 742 अनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार ओसिया बनाम अनोपाराम वगैराह में दिनांक 01.11.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए ग्राम जम्भेश्वर नगर, हनुमान नगर, तहसील ओसियॉ के ख0सं0 233, 1072 / 3 1072 / 8, 1072 / 2, 1072 / 10, 1072 / 9, 1072 / 4 में से चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस जारी किये तथा बिना पक्षकार

बनाये, बिना कोई साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलर्थीगण की भूमि में से रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 01.11.2021 को पारित कर दिया जिससे अपीलान्टस व्यथित होने से अपील प्रस्तुत कर रहे है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट को राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई अधिकार नहीं है कि किसी कि खातेदारी भूमि में से भूमि की किस्म बदल कर रास्ता घोषित करवाये व न ही अधिनस्थ न्यायालय को कानूनी अधिकार है। अपीलार्थीगण ख0सं0 1072/5, 233 के रेकर्डेड खातेदार है। जिनको बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से काबिल खारिज के है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से कदीमी रास्ता कभी नहीं रहा और न ही कोई ग्रेवल सडक है। खातेदारी भूमि में से रास्ता देने का प्रावधान केवल राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 व 251 ए में ही है। राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 136 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त धारा 136 के प्रावधानों के तहत आदेश पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पक्षकार को सुनवाई व अपना पक्ष रखने का अवसर दिये जाने को आवश्यक बताया है। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1994 पेज 505 का अवलोकन कराया।

4. अपीलार्थीगण के द्वारा उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ के समक्ष कैम्प भाकरी में इन खातेदारी भूमि के माठ पर रास्ता देने का प्रार्थना पत्र पेश किया था, उन प्रार्थना पत्र बिना कोई गौर किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा खातेदारी भूमि के बीचों बीच में रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है अपीलाधीन आदेश अनाधिकारपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है तथा अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे।

5. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित ग्राम जम्भेश्वर नगर, हनुमान नगर, तहसील ओसियॉ के ख0सं0 233, 1072/3 1072/8, 1072/2, 1072/10, 1072/9, 1072/4 में से गैरमुमकीन रास्ता घोषित किये जाने राजस्व रेकर्ड में भूमि की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं

ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है। साथ ही अपीलार्थीगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के कैम्प कोर्ट भाकरी में इन खातेदारी खसरान की भूमि के माठ पर रास्ता निकाले जाने तथा देने का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रकट किया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र बिना कोई गौर किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

6. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण की अंकित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलार्थीगण की रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण के अन्तिम निर्णय तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति भी बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

**(डॉ0 राजेश शर्मा)**
**डिवीजनल कमिश्नर,**
**जोधपुर**